प्रदेश में 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की गई

चंडीगढ़। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की है। साथ ही, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि गत 5 जुलाई को हुई 36वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में आयोग द्वारा मई और जून माह के दौरान किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि आयोग के ध्यान में आया है कि एचएसवीपी द्वारा इस समय 16 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। हालांकि, इसकी वेबसाइट पर 53 सेवाएं दर्शाई गई हैं। आयोग ने सरकार से इन सभी 53 सेवाओं को अधिसूचित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि सेवाओं के लिए अधिसूचित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है।